e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:–01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19/2021...56

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता
–सह–
बन्दोबस्त पदाधिकारी,
पटना/मुजफ्फरपुर/गया/भागलपुर/
भोजपुर/सारण/दरभंगा/औरंगाबाद/कैमूर/
बक्सर/वैशाली/रोहतास/पूर्वी0 चम्पारण/मधुबनी/
समस्तीपुर/सिवान/गोपालगंज/नवादा।

पटना, दिनांक :– 06-01-2022

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि राज्य में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय एवं राज्य स्तर पर विशेष सर्वेक्षण संबंधी अधिसूचना (संख्या–1574 दिनांक–01.10.12, 188, दिनांक–03.02.15 एवं 1973 दिनांक–07.11.16) जो इस पत्र के साथ संलग्न है, के आलोक में पूरे राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य किया जाना है। इस आलोक में प्रथम चरण अंतर्गत राज्य के बीस जिलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है एवं उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठकों में लिए गए निर्णय के आलोक में शेष जिलों में जनवरी, 2022 से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किया जाना है।

जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के लिए जिला स्तर पर निम्नांकित कार्यों को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है–

(i) जिन जिलों में बन्दोबस्त कार्यालय स्वतंत्र रूप से कार्यरत नहीं है, वहाँ कम–से–कम चार कमरे एवं एक हॉल को बन्दोबस्त कार्यालय के लिए उपलब्ध कराना।

(ii) स्वतंत्र रूप से स्थापित बन्दोबस्त कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक उपस्कर आदि का क्रय एवं पूर्व से स्थापित बन्दोबस्त कार्यालयों में सुविधाओं का विस्तारीकरण के लिए आवश्यक उपस्कर एवं सामग्रियों का क्रय। इस संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के E-Office पत्रांक–1/14873/21 दिनांक–22.12.2021 द्वारा प्रत्येक जिले 300000/– (तीन लाख रूपये) मशीन एवं उपस्कर मद में तथा 100000/– (एक लाख रूपये) विज्ञापन एवं प्रकाशन मद में उपलब्ध कराए गए हैं। (पत्र की प्रति संलग्न)।

(iii) बन्दोबस्त कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने अथवा विस्तारीकरण के लिए उपलब्ध कराए गए आवंटन से निम्नांकित गुणवत्तायुक्त सामग्रियों के साथ आवश्यकतानुसार सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अन्य सामग्रियों को प्रस्तावित मूल्य सीमा के अन्दर क्रय किया जा सकता है, जिसकी सूची एवं अनुमानित मूल्य निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	उपस्कर/सामग्री का नाम	अदद	अनुमानित मूल्य	अभ्युक्ति
01.	टेबुल	02	8000x2=16000	स0ब0पदा0 प्रयोग हेतु
02.	कुर्सी	02	5000x2=10000	स0ब0पदा0 प्रयोग हेतु
03.	कम्प्यूटर, यू0पी0एस0 सहित	01	50000	कार्यालय प्रयोग हेतु
04.	प्रिन्टर (With Scanner) (Three in one)	01	10000	कार्यालय प्रयोग हेतु
05.	टेबुल	03	4000x3=12000	कार्यालय प्रयोग हेतु
06.	कुर्सी	03	3000x3=9000	कार्यालय प्रयोग हेतु
07.	बक्सा (स्टील)	03	5000x5=25000	कार्यालय प्रयोग हेतु
08.	आलमीरा (गोदरेज)	02	25000x2=50000	कार्यालय प्रयोग हेतु
09.	फोन एवं इंटरनेट की सुविधा		5000	कार्यालय प्रयोग हेतु
10.	प्लास्टिक कुर्सी	5	600x5=3000	कार्यालय प्रयोग हेतु
11.	पंखा	3	3000x3=9000	कार्यालय प्रयोग हेतु
कुल योग			199000/-	

(iv) बन्दोबस्त कार्यालय के वित्तीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–11207 दिनांक–13.11.2020 द्वारा सभी समाहर्त्ताओं को अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को वित्तीय शक्ति प्रदत्त करने का अनुरोध किया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

(v) जिन जिलों में बन्दोबस्त कार्यालय में स्वतंत्र रूप से स0ब0पदा0, लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यालय परिचारी नियुक्त नहीं है, वहाँ राजस्व पदाधिकारियों को स0ब0पदा0 का एवं जिला राजस्व कार्यालय के लिपिकों को बन्दोबस्त कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना। विशेष सर्वेक्षण के प्रारंभिक स्तर का कार्य करने के लिए संविदा अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन को आपके जिले में प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई निदेशालय स्तर से की जा रही है।

चूँकि राज्य के प्रथम चरण के लिए चयनित बीस जिलों में संचालित विशेष सर्वेक्षण कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं और उन जिलों की समीक्षा उपरान्त कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उपलब्ध कार्यबल में से ही केवल विशेष सर्वेक्षण अमीन की प्रतिनियुक्ति आपके जिले में की जानी है। अतः आपके जिले में वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण संबंधी वास्तविक क्षेत्रीय कार्य के पूर्व किया जाने वाले सर्वेक्षण पूर्व कार्य (Pre-Survey Activity) ही किया जाएगा जो निम्न प्रकार है:–

(i) जिले के प्रत्येक अंचल से निम्न प्रपत्र में बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा निम्नांकित आंकड़ों का एकत्रीकरण:–

क्र0 सं0	अंचल का नाम	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	खतियान उपलब्धता की स्थिति		मानचित्र उपलब्धता की स्थिति		ग्रामों का नाम जिनका मानचित्र हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8
			ग्रामों का नाम जिनका खतियान उपलब्ध है।	ग्रामों का नाम जिनका खतियान उपलब्ध नहीं है।	ग्रामों का नाम जिनका मानचित्र उपलब्ध है।	ग्रामों का नाम जिनका मानचित्र उपलब्ध नहीं है।	

ग्रामों का नाम जहाँ राजस्व कार्यो का आधार कैडेस्ट्रल सर्वे है।	ग्रामों का नाम जहाँ राजस्व कार्यों का आधार रिविजनल सर्वे है।	ग्रामों का नाम जहाँ राजस्व कार्यो का आधार चकबन्दी सर्वे है।	अभ्युक्ति
9	10	11	12

(ii) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में पदस्थापित नोडल पदाधिकारी से मंतव्य प्राप्त कर जिन क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया जाना है, उनके चयन के लिए अंचल एवं गठित होने वाले शिविरों का निर्धारण।

(iii) जिन क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया जाना है विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना (निदेशालय का पत्रांक–10459 दिनांक–14.08.2020 संलग्न)

(iv) जिला अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों के विगत् सर्वेक्षण मानचित्र की एक प्रति का जिले में अवस्थित प्लॉटर मशीन अथवा बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना की सहायता से जिला बन्दोबस्त कार्यालय में उपलब्ध कराना।

(v) बन्दोबस्त कार्यालय में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं विगत् सर्वेक्षण के मानचित्रों के उचित रख–रखाव की व्यवस्था करना।

(vi) जिला स्तर पर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम–4 के उप नियम (1) के तहत जिन ग्रामों में कार्य प्रारंभ किया जाना है, उनमें प्रपत्र–1 में जिला स्तरीय उद्घोषणा का प्रकाशन।

(vii) भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अंतर्गत उपलब्ध पदाधिकारी/कर्मियों को सम्बद्ध कर शिविरों का गठन एवं एवं R2R सॉफ्टवेयर अंतर्गत पदाधिकारियों/कर्मियों की शिविरवार सम्बद्धता (भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अंतर्गत शिविर गठन करने संबंधी यूजर मैनुअल एवं R2R का यूजर मैनुअल का PDF पत्र के साथ संलग्न)।

(viii) सरकारी भूमि एवं सरकारी विभागों की भूमि के संरक्षण हेतु सरकारी विभागों की बैठक आयोजित कर विभागवार नोडल पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया जाना एवं विभागवार भूमि एवं सरकारी भूमि की विवरणी का विभाग एवं अंचल के सहयोग से संधारण (निदेशालय का पत्रांक–~~1889~~ 11081 दिनांक–27.10.2020 संलग्न)।

(ix) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2019) के नियम–9 उप नियम (1) के तहत् ग्रामवार विगत अधिकार–अभिलेख का संक्षिप्तसार प्रपत्र–5 में खतियानी विवरणी का संधारण।

(x) उपलब्ध कार्यबल के अनुसार एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अंतर्गत ऑनलाईन सेवाओं के तहत् रैयतों से प्रपत्र–2 एवं 3(1) (स्वघोषणा एवं वंशावली) की ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्राप्ति।

आपके जिलों में किए जाने वाले कार्यों के राज्य स्तरीय अनुश्रवण के लिए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या–4049 दिनांक–28.10.2021 द्वारा नोडल पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न)।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने जिले अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ कर प्रगति प्रतिवेदन से निदेशालय को अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19/2021......56............**पटना, दिनांकः**06-01-2022

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/ पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19/2021......56.............**पटना, दिनांकः**06-01-2022

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/एल0आई0एस0 सलाहकार/विशेष सर्वेक्षण शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19/2021......56............**पटना, दिनांक** :06-01-2022

प्रतिलिपिः– प्रभारी, आई0टी0सेल/श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19/2021......56.............**पटना, दिनांक** :06-01-2022

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2022\Birendra kumar Aso\director\file no 19 2021 03.01.2022.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :- 17-स्था0(अधिसूचना)-210/2011-1574 पटना, दिनांक 01/10/12

अधिसूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा - 3 (भागलपुर के संदर्भ में धारा - 3 के साथ साथ धारा - 4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतत् द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 13 जिलों यथा नालन्दा, शेखपुरा, छपरा, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार, मोतिहारी के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 189 अंचलों में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू-सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :-

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या कोर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नहीं,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहदियाँ,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है - संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा,

(च) यदि लगान उत्तरोत्तर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू-स्वामी के अधिकार एवं दायित्व :-

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसा भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हों या नहीं,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नहीं चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नहीं, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू-स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ।

अनुसूची

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	नालन्दा	बेन, कतरीसराय, थरथरी, नूरसराय, रहुई, राजगीर, इस्लामपुर, हरनौत, हिलसा, चण्डी, बिन्द, सिलाव, अस्थावां, नगरनौसा, बिहारशरीफ, परवलपुर, करायपरशुराय, एकंगरसराय, गिरीयक, सरमेरा।
2	शेखपुरा	शेखपुरा सदर, घाट कुसुम्बा, शेखोपुर सराय, चेवाड़ा, अरियरी, बरबीघा।
3	छपरा	गरखा, मसरख, रिविलगंज, बनियापुर, सोनपुर, मांझी, जलालपुर, मकेर, छपरा सदर, मढ़ौरा, पानापुर, दरियापुर, इसुआपुर, नगरा, दिघवारा, अमनौर, लहलादपुर, परसा, तरैया, एकमा।
4.	मुंगेर	टैटिया बम्बर, मुंगेर सदर, जमालपुर, बरियारपुर, धरहरा, हवेली-खड़गपुर, असरगंज, संग्रामपुर, तारापुर।

5	भागलपुर	गोपालपुर, सुल्तानगंज, शाहकुंड, इस्माईलपुर, रंगराचौक, सन्हौला, नाथ नगर, पीरपैंती, खरीक, कहलगाँव, सबौर, गौराडीह, नारायणपुर, बिहपुर, जगदीशपुर, नौगछिया।
6	बेगूसराय	तेघड़ा, बछवारा, बलिया, वीरपुर, बेगूसराय सदर, साम्हो अकहा कुरहा, मटिहानी, बरौनी, भगवानपुर, मंसुरचक, डन्डारी, बखरी, नावकोठी, गढ़पुरा, चेरिया-बरियारपुर, छौड़ाही, खोदावन्दपुर, साहेबपुर कमाल
7	लखीसराय	लखीसराय सदर, हलसी, सूर्यगढ़ा, पिपरीया, रामगढ़ चौक, बड़हिया, चानन
8.	खगड़िया	गोगरी, मानसी, चौथम, खगड़िया सदर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर
9.	जमुई	लक्ष्मीपुर, चकाई, जमुई सदर, सोन्हो, झाझा, सिकन्दरा, बरहट गिद्धौर, खैरा, अलीगंज
10	सिवान	मैरवा, आन्दर, सिवान सदर, पचरुखी, हसनपुरा, दरौली, लकड़ी नबीगंज, नौतन, रघुनाथपुर, जीरादेई, सिसवन, महाराजगंज, बड़हरिया, भगवानपुर हाट, हुसैनगंज, गुठनी, गोरेया कोठी, दरौंदा, बसंतपुर
11	पूर्णियाँ	कृत्यानगर, रुपौली, बड़हरा कोठी, बनमंखी, पूर्णियाँ पूर्व, जलालगढ़, भवानीपुर, धमदाहा, बायसी, कसबा, श्रीनगर, डगरूआ, बैसा, अमौर
12	कटिहार	आजमनगर, आमदाबाद, कदवा, प्राणपुर, हसनगंज, मनसाही, कुरसैला, दण्डखोड़ा, बरारी, कोढ़ा, कटिहार सदर, समेली, मनीहारी, बारसोई, बलरामपुर, फलका
13	मोतिहारी	चकिया, बंजरिया, केसरिया, हरसिद्धि, पिपराकोठी, आदापुर, फेन्हारा, तेतरीया रामगढ़वा, रक्सौल, सुगौली, अरेराज, चिरैया, ढाका, संग्रामपुर, मेहसी, बनकटवा, पताही, पहाड़पुर, पकड़ी दयाल, कोटवा, तुरकौलिया, कल्याणपुर, मधुबन, मोतिहारी सदर, घोड़ा साहन, छौड़ादानो

3. इस विभाग की संख्या 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011–384 दिनांक 29.02.2012 एतत् द्वारा निष्प्रभावी की जाती है।

4. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

D:\Year 2012\Ravindra P\Notification\Notification (Hindi) 2.doc

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011...1574 पटना, दिनांक :–01/10/12

प्रतिलिपि :– अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड–3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011...1574 पटना, दिनांक :–01/10/12

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना – 7 को (सी॰डी॰ एवं हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ। अनुरोध है कि राजपत्र की 800 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011...1574 पटना, दिनांक :–01/10/12

प्रतिलिपि :– सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, राजस्व पर्षद/सभी समाहर्त्ता/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

D:\Year 2012\Ravindra P\Notification\Notification (Hindi) 2.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011......198 पटना, दिनांक - 3-12-15

अधिसूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा – 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतत् द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 05 जिलों यथा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज एवं अररिया के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 50 अंचलों में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :–

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नही,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है – संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा,

(च) यदि लगान उत्तरोत्तर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू–स्वामी के अधिकार एवं दायित्व :–

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसा भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नही,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नही चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नही, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू–स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहदियाँ।

अनुसूची

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	सहरसा	सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर, सौर बाजार, महिषि, कहरा, नौहटा, पतरघट, बनमाई टिहरी, सतर कटैया, सलखुआ = 10 अंचल
2	मधेपुरा	ग्वालपाड़ा, मधेपुरा सदर, गम्हरिया, उदाकिशनगंज, पूरैनी, सिंघेश्वर स्थान, आलम नगर, कुमार खंड, घैलाढ़, शंकरपुर, चौसा, मुरलीगंज, बिहारीगंज = 13 अंचल
3	सुपौल	बसंतपुर, पिपरा, सुपौल सदर, राघोपुर, त्रिवेणीगंज, छातापुर, सरायगढ़ भटियाही, किशनपुर, प्रतापगंज, निर्मली, मरौना = 11 अंचल
4	किशनगंज	किशनगंज सदर, बहादुरगंज, कोचाधामन, टेढ़ागाछ, दिग्धल बैंक, ठाकुरगंज, पोठीया = 07 अंचल
5	अररिया	जोकीहाट, फारबिसगंज, भरगामा, रानीगंज, नरपतगंज, सिकटी, पलासी, कुरसा काँटा, अररिया सदर = 09 अंचल

3. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

D:\2014 new\ravindra prasad\notification\Notification (Hindi) 2.doc

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011.......... पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड—3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

ह0 / —

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011.......... पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय, प्रेस गुलजारबाग, पटना — 7 को (सी॰डी॰ एवं हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ। अनुरोध है कि राजपत्र की 800 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / —

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011.....188 पटना, दिनांक :—03/02/15

प्रतिलिपि :— सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, राजस्व पर्षद / सभी समाहर्त्ता / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना—7 / सभी बंदोबस्त पदाधिकारी / विभागीय आ0ई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\2014 new\ravindra prasad\notification\Notification (Hindi) 2.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011....1973 पटना, दिनांक 3-11-16

अधिसूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा – 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतत् द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 20 जिला यथा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, प0 चम्पारण, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, पटना, मधुबनी, नवादा एवं बांका के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 295 अंचलों में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :–

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नहीं,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है – संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा,

(च) यदि लगान उत्तरोत्तर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू–स्वामी के अधिकार एवं दायित्व -

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसी भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नहीं,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नहीं चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नहीं, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू–स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ।

अनुसूची

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	मुजफ्फरपुर	कांटि, कुढ़नी, मड़वन, मोतिपुर, मारू, साहेबगंज, सरैया, औराई, बान्द्रा, बोचहाँ, गायघाट, कटरा, मीनापुर, मुरौल, मुसहरी एवं सकरा = 16 अंचल
2	सीतामढ़ी	बैरगनिया, बथनाहा, डुमरा, मेजरगंज, परिहार, रीगा, रून्नीसैदपुर, सोनवर्षा, सुप्पी, बेलसंड, परसौनी, बाजपट्टी, बोखरा, चोरौत, नानपुर, पुपरी एवं सुरसंड = 17 अंचल
3.	वैशाली	देसरी, महनार, सहदई बुजुर्ग, चेहराकला, गोरौल, जन्दाहा, महुआ, पातेपुर राजापाकाड़, भगवान, बिदुपुर, हाजीपुर, लालगंज, पटेढ़ी बेलसर, राघोपुर, वैशाली = 16 अंचल
4	शिवहर	डुमरी कटसरी, पीपराही, पुरनहीया, शिवहर, तरियानी = 05 अंचल
5	प0 चम्पारण	बगहा–1, बगहा–2, भितहा, मधुबनी, पिपरासी, रामनगर, ठकराहा, गौनाहा, लौरीया, मैनाटाड़, नरकटियागंज, सिकटा, बैरिया, बेतिया, चनपटीया, जोगापट्टी मझौलिया, नौतन = 18 अंचल
6	गया	बेलागंज, बोधगया, फतेहपुर, मानपुर, सदर गया, टनकुप्पा, वजीरगंज, अतरी, नीमचकबथानी, खिजरसराय, मोहरा, आमस, बांके बाजार, बाराचट्टी, डोभी डुमरिया, गुरूआ, ईमामगंज, मोहनपुर, शेरघाटी, गुरारू, कोंच, परैया, टेकारी = 24 अंचल
7	जहानाबाद	घोषी, हुलासगंज, जहानाबाद, काको, मखदुमपुर, मोदनगंज, रतनीफरीदपुर = 07 अंचल
8	औरंगाबाद	दाउदनगर गोह, हसपुरा, ओबरा, औरंगाबाद, बारूण, देव, कुटुम्बा, मदनपुर नवीनगर, रफीगंज = 11 अंचल
9	अरवल	अरवल, कलेर, करपी, कुर्था, सोनाभद्र वंशी सूर्यापुर = 05 अंचल
10	कैमूर	अधौरा, भभुआ, भगवानपुर, चैनपुर, चाँद, रामपुर, दुर्गावती, कुदरा, मोहनियाँ, नुवाँव, रामगढ़ = 11 अंचल

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
11	रोहतास	अकोढ़ी गोला, डिहरी, नौहट्टा, रोहतास, तिलोथू, विक्रमगंज, दावथ, दिनारा, काराकाट, नसरीगंज, राजपुर, संझौली, सुर्यपुरा, चेनारी, करगहर, कोचस, नोखा, सासाराम, शिवसागर = 19 अंचल
12	गोपालगंज	बैकुण्ठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचाईकोट, मांझा, सिधवलिया, थावे, भोरे, विजयपुर, हथुआ, कटैया, पंचदेवरी, फुलवरीया, उचकागाँव = 14 अंचल
13	समस्तीपुर	मोहनपुर, मोहदीनगर, पटोरी, विभूतिपुर, बिथान, हसनपुर, रोसड़ा, शिवाजीनगर, सिंधिया, कल्याणपुर, खानपुर, मोरवा, पूसा, समस्तीपुर, सरायरंजन, ताजपुर, वारीसनगर, दलसिंहसराय, उजियारपुर, विद्यापतिनगर = 20 अंचल
14	दरभंगा	बहादुरपुर, बहेरी, दरभंगा, हनुमाननगर, हायाघाट, जाले, केवटी, मनीगाछी, सिंघवारा, तारडीह, अलीनगर, बेनीपुर, बिरौल, गौराबउरम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान प0, कुशेश्वर स्थान पुर्वी = 18 अंचल
15	भोजपुर	अगिआँव, आरा, बरहरा, गढ़नी, कोईलवर, सहार, संदेश, उदवंतनगर, बिहिया जगदीशपुर, शाहपुर, चरपोखरी, पीरो, तरारी = 14 अंचल
16	बक्सर	बक्सर, चौसा, ईटाढ़ी, राजपुर, ब्रह्मपुर, चक्की, चौगाई, डुमराव, केसठ, नावानगर, सिमरी = 11 अंचल
17	पटना	बिहटा, दानापुर, मनेर, नौबतपुर, विक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, अथमलगोला, बख्तियारपुर, बाढ़, बेलछी, घोसवरी, मोकामा, पंडारक, पटना सदर, फुलवारीशरीफ, संम्पतचक, धनरूआ, मसौढ़ी, पुनपुन, दनियांवा, फतुआ, खुसरूपुर = 23 अंचल
18	मधुबनी	बेनीपट्टी, बिसफी, हरलाखी, माधवापुर, बाबूबरही, कलुआही, खजौली, पंडौल, रहिका, राजनगर, अंधराठाढ़ी, झंझारपुर, लखनौर, मधेपुर, बासोपट्टी, जयनगर, लदनीया, घोघरडीहा, खुटौना, लौकही, फुलपरास = 21 अंचल
19	नवादा	अकबरपुर, गोविंदपुर, मेसकौर, नरहट, रजौली, रोह, सिरदल्ला, हिसुआ, काशीचक, कौआकोल, नारदीगंज, नावादा सदर, पकरीबरावाँ, वारसलीगंज = 14 अंचल
20	बांका	अमरपुर, बांका, बाराहाट, बेलहर, बौंसी, चानन, धौरेया, कटोरिया, फुलीडूमर, रजौन, शंभुगंज = 11 अंचल

3. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011.... ..... पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड—3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

ह0 / —
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011.... ..... पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय, प्रेस गुलजारबाग, पटना — 7 को (सी॰डी॰ एवं हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ। अनुरोध है कि राजपत्र की 800 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / —
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011...1973 पटना, दिनांक :— 03-11-2016

प्रतिलिपि :— सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, राजस्व पर्षद / सभी समाहर्त्ता / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना—7 / सभी बंदोबस्त पदाधिकारी / विभागीय आ0ई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28.10.16
प्रधान सचिव

D:\year 2016\Md Info\notification\Notification Hindi dated 20.09.2016.doc

I/14873/2021

File No.-498/1/2021-DOLRS

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01 / भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)–01 / 2021..............

प्रेषक,

जय सिंह,भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
पटना / सारण (छपरा) / मुजफ्फरपुर / दरभंगा / गया / वैशाली (हाजीपुर) / पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) / भोजपुर (आरा) / बक्सर / रोहतास / गोपालगंज / समस्तीपुर / भागलपुर / कैमूर / औरंगाबाद / नवादा / मधुबनी / सिवान।

पटना, दिनांक :–

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 18 जिलो में ईकाई कोड– 52 01 विषय शीर्ष मशीने एवं उपस्कर मद एवं 26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन में राशि आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अन्तर्गत 18 जिलो में कार्यालय स्थापित करने हेतु आधारभूत आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था एवं सर्वे कार्यों के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से मुख्य शीर्ष– 2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष –0101– सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत ईकाई कोड– 52 01 विषय शीर्ष मशीनें एवं उपस्कर मद एवं 26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2021–22 में तत्काल कुल राशि – 72,00,000/– (बहत्तर लाख) रूपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :–

क्र0सं0	जिला का नाम	मशीने एवं उपस्कर मद (52 01)	विज्ञापन एवं प्रकाशन (26 01)	कुल योग (3+4)
1	2	3	4	5
1	पटना	300000	100000	400000
2	सारण (छपरा)	300000	100000	400000
3	मुजफ्फरपुर	300000	100000	400000
4	दरभंगा	300000	100000	400000
5	गया	300000	100000	400000
6	वैशाली (हाजीपुर)	300000	100000	400000
7	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	300000	100000	400000
8	भोजपुर (आरा)	300000	100000	400000
9	बक्सर	300000	100000	400000
10	रोहतास	300000	100000	400000

क्र0सं0	जिला का नाम	मशीनें एवं उपस्कर मद (52 01)	विज्ञापन एवं प्रकाशन (26 01)	कुल योग (3+4)
1	2	3	4	5
11	गोपालगंज	300000	100000	400000
12	समस्तीपुर	300000	100000	400000
13	भागलपुर	300000	100000	400000
14	कैमूर	300000	100000	400000
15	औरंगाबाद	300000	100000	400000
16	नवादा	300000	100000	400000
17	मधुबनी	300000	100000	400000
18	सिवान	300000	100000	400000
	कुल योग :–	5400000	1800000	7200000
				(बहत्तर लाख रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 02 (10) दिनांक 11.10.2021 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. राज्यादेश के आलोक में शेष राशि पुनः आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त जिलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

4. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / इकाई कोड / माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड 40 – 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जायें ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन
Signed by Jai Singh
Date: 22-12-2021 06:48:32
Reason: Approved
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, बिहार, पटना।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा)।
3. संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी।
4. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

बिहार सरकार।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01/ भू0अ0नि0(1) मु0स्था0(वि0श0)–14/2020–1120 7

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 13.11.2020

विषय :– **बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वे कार्य के सफल संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता –सह– प्रभारी पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को वित्तीय शक्ति प्रदत्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि दिनांक 28.10.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रभारी पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को वित्तीय शक्ति के अभाव में दैनन्दन कार्यों में होने वाले विलम्ब पर विचार विमर्श किया गया एवं यह पाया गया कि उन शक्तियों के अभाव में दिन–प्रतिदिन के छोटे कार्यो हेतु भी अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। बन्दोबस्त पदाधिकारियों के दिन प्रतिदिन की व्यस्तताओं को देखते हुए यह उचित समझा गया कि प्रभारी पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जाय एवं इस हेतु प्रभारी पदाधिकारियों को रू0 50,000/– एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को रू0 10,000/– तक की वित्तीय शक्ति की राशि विचार विमर्श उपरांत उपयुक्त समझी गयी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी समाहर्त्ताओं पदस्थापन के समय बन्दोबस्त पदाधिकारी के रूप में उन्हें अधिसूचित किया जाता है एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोषागार संहिता अनुभाग–02 के नियम 84 एवं बिहार वित्त विभाग नियमावली के नियम–110(3) तथा तकनीकी नियमावली के नियम 427 (डी0) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों को यथा आवश्यक वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान की जाती रही है।

अतः अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण से संबंधित दोनो पदाधिकारियों को प्रावधानित नियम के आलोक में वित्तीय शक्तियाँ प्रदान किये जाने के संबंध में अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए एवं इससे अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,

(जय सिंह) 13/11/20
निदेशक

ज्ञापांक— 01/भू0अ0नि0(1) मु0स्था0(वि0श0)— 14/2020.1127 पटना दिनांक :— 13.11.2020

प्रतिलिपि :— सभी अपर समाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी बिहार/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक— 01/भू0अ0नि0(1) मु0स्था0(वि0श0)— 14/2020.1127 पटना दिनांक :— 13.11.2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–विशेष सर्वेक्षण (Creative Writing) - 308 / 2019 10959

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 14-08-2020

विषय :– होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए बिहार विशेष सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के संबंध में।

संदर्भ :– विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षा से संबंधित विभागीय पत्र संख्या–10233 दिनांक– 09.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव के पत्र द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने और नियमित समीक्षा शुरू करने के निदेश दिए गए थे। इसके अंतर्गत जिला एवं अंचल स्तर पर बिहार विशेष सर्वेक्षण के प्रचार–प्रसार का कार्य भी शामिल था। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तीन विषयों :–

(1) किस्तवार एवं खानापुरी की प्रक्रिया (2) बिहार विशेष सर्वेक्षण में रैयतों की जिम्मेवारी एवं (3) प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3 (i) भरने की सामान्य जानकारी पर प्रचार सामग्री तैयार कराई गई है। यह प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग के रूप में है। प्रचार सामग्री जिसकी सॉफ्ट कॉपी इस मेल के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, को रंगीन प्रिंट कराकर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सरकारी कार्यालयों में लगे फ्रेम में लगाया जाना है।

होर्डिंग हेतु तैयार प्रचार सामग्री को फ्लैक्स पर रंगीन प्रिंट कराया जाना है। इसका साईज 8X12 एवं 10X20 फीट है। पोस्टर सामग्री A5, A4 एवं A3 साईज के पेपर पर छपनी है और यह दीवाल पर चिपकाने एवं लोगों के बीच बांटने के लिए है। इसी तरह बैठकों एवं सभाओं लगाए जाने वाले बैनरों के लिए भी इस सामग्री का इस्तेमाल किया जाना है। Portrait आकार की सामग्री पोस्टर हेतु है, जबकि Landscape में होर्डिंग एवं बैनर की सामग्री दी जा रही है।

जिला एवं अंचल कार्यालयों के अतिरिक्त यह प्रचार सामग्री सर्वेक्षण हेतु स्थापित विशेष शिविरों में भी लगायी और वितरित की जानी है। पंचायत सरकार भवन में चल रहे शिविरों में जहां पहले से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के फ्रेम लगे हुए नहीं है, वहां जिला प्रशासन द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए इस तरह के फ्रेम लगाए भी जाने हैं। पत्रांक–378 दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक–1654 दिनांक–24.03.2020 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, सुपौल एवं शेखपुरा की यह प्रचार सामग्री पूर्व में भेजी जा चुकी है।

क्र0पृ0उ0

पत्र के साथ उक्त वर्णित विषय सामग्री की डिजाईन की सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में जन–जागरूकता बढ़ाने एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए अपने स्तर से भी विशेष प्रयास करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

D:\Drive - D\Year 2020\Rajesh Sir\Director\05-08-2020.docx

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019...11089

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :– 27-10-2020

विषय :– सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं जिला बंदोबस्त कार्यालय/संबंधित शिविर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– निदेशालय का पत्र संख्या– 17–सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग– 95/2019– 716 दिनांक– 08.05.2019, पत्र संख्या–17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग– 95/2019 1315 दिनांक 05.08.2019 एवं पत्र संख्या–17– वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0)– 101/2019 408 दिनांक 28.02.2020 का कंडिका–7

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिये गये निदेशों का कृपया स्मरण किया जाय। इस क्रम में संसूचित किया गया है कि जिला के बन्दोबस्त कार्यालयों को अंचलाधिकारी एवं अन्य केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो द्वारा सरकारी/लोक भूमि की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राजस्व विभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश दिये गये है। साथ ही सरकारी भूमि की विवरणी जिला, अनुमंडल, अंचल एवं हल्कावार पंजी में संधारित रखने के संबंध में भी पूर्व में निदेश निर्गत किये गये है।

आपके जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ है। इस आलोक में सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित रह सके।

उक्त के आलोक में पुनः अनुरोध है कि –

(1) अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि सरकारी/लोक भूमि की विवरणी विहित प्रपत्र में अविलंब तैयार कर ले। विहित प्रपत्र का प्रारूप पत्र के निम्न भाग में दिया जा रहा है।

(2) सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे उक्त प्रपत्र में तैयार सरकारी/लोक भूमि की विवरणी संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।

(3) अपने क्षेत्र अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से अपने क्षेत्राधिकार की सरकारी भूमि की विवरणी तैयार कर जिला बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम–3(1) एवं नियम–4(1) के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों सहित भूमि के भू–स्वामियों/हित रखने वालों को अधिसूचना एवं अधिघोषणा अंतर्गत संसूचित किया जाना आवश्यक है।

(4) सभी अंचलाधिकारियों/केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के नोडल पदाधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि उनके द्वारा सभी सरकारी/लोक भूमि की विवरणी उपलब्ध करा दी गई है और इसके अतिरिक्त कोई सरकारी भूमि/लोक भूमि उनके अधिकार क्षेत्र अंतर्गत नहीं है।

(5) सरकारी भूमि के संरक्षण एवं अनुरक्षण के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 247 दिनांक– 20.03.2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director su\PS Letter\File No.-95 2019 12.10.2020.doc

(6) विहित प्रपत्र निम्न प्रकार है:—

प्रपत्र

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय की भूमि की विवरणी।

जिला का नाम:—
विभागीय कार्यालय/संस्थान का नाम :—

क्र0 सं0	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम (जहाँ भूमि अवस्थित है)	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा	भूमि पर दावा का आधार (दान/भू–अर्जन/अंतरण/अन्य)	अभ्युक्ति

नोटः— प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरणी में अंकित सरकारी/लोक भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि हमारे क्षेत्रांतर्गत/विभाग अंतर्गत नहीं है।

हस्ताक्षर
अंचलाधिकारी/संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी

(7) साथ ही निदेश है कि प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को निम्न प्रपत्र में जिन सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो से भूमि की विवरणी प्राप्त हो जाये, उसके प्राप्त होने अथवा अप्राप्त होने का प्रतिवेदन निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को उनके ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे:—

सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त करने के संबंध में अनुश्रवण हेतु प्रपत्र।

जिला का नाम / विभाग/उपक्रम/बोर्ड का नाम		
	प्राप्त	अप्राप्त

(8) जिला पदाधिकारी जिले में पदस्थापित केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के पदाधिकारियों में से प्रत्येक विभाग हेतु अलग–अलग किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में घोषित करेंगे, जो जिला बन्दोबस्त कार्यालय/संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत् संपर्क में रह कर सरकार का हित अक्षुण्ण रखेंगे।

विश्वासभाजन
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :— 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019...11089 पटना, दिनांक :— 27-10-2020

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त (सारण प्रमंडल को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :— 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019...11089 पटना, दिनांक :— 27-10-2020

प्रतिलिपि :— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी/निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director\PS Letter\File.No.-95 2019 12.10.2020.doc

ज्ञापांक :— 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)—95 / 2019 11089 पटना, दिनांक :— 27-10-2020

प्रतिलिपि :—सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\PS Letter\File No.-95 2019 12.10.2020.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84/2019...5019.....पटना, दिनांक :-28-10-2021

आदेश

राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त शेष 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के प्रारंभिक चरण का कार्य प्रारंभ किया जाना है। इस आलोक में इन जिलों में विशेष सर्वेक्षण संबंधी कार्यों की समीक्षा के लिए भू-अभिलेख एवं परिमापु निदेशालय के नवपदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के बीच निम्न प्रकार से जिला आवंटित किया जाता है:-

क्र0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित जिला का नाम
01.	श्री सुनील कुमार, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया नवादा, पटना एवं भागलपुर
02.	श्री पंकज कुमार, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण एवं मधुबनी

उक्त पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-2745 दिनांक-11.09.2021 के आलोक में दिनांक-16.09.2021 को आयोजित इन जिलों की समीक्षात्मक बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन विशेष सर्वेक्षण शाखा से प्राप्त कर बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा के अनुसार सभी जिलों की समीक्षा कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही इन 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण के प्रारंभिक स्तर का कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्यबल का आकलन कर प्रस्ताव समर्पित करेंगे।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84/2019...5019. पटना, दिनांक 28-10-2021

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया नवादा, पटना, भागलपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण एवं मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84/2019...5019 पटना, दिनांक 28-10-2021

प्रतिलिपिः- सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गोपालगंज, भागलपुर, कैमूर, नवादा एवं सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Order\file no.-84-2019-28.10.2021.doc

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019...5059 पटना, दिनांक 28-10-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय / प्रभारी, आई0टी0 सेल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019...5059 पटना, दिनांक 28-10-2021

प्रतिलिपि :– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0एल0एण्ड एफ0एस0 एवं जी0आई0एस0सी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019...5059 पटना, दिनांक 28-10-2021

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019...5059 पटना, दिनांक 28-10-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
28/10/21

बिहार राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त शेष बचे 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण का कार्य प्रारंभ किये जाने से संबंधित

अद्यतन प्रतिवेदन संख्या–01 दिनांक–28.12.2021

सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना

क्र0 सं0	जिला का नाम	भवन	फर्नीचर	कम्प्यूटर सेट + प्रिंटर+ स्कैनर+ यू0पी0 एस0	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी – स्वीकृत	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी – कार्यरत	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी – आवश्यकता	उच्चवर्गीय लिपिक – स्वीकृत	उच्चवर्गीय लिपिक – कार्यरत	उच्चवर्गीय लिपिक – आवश्यकता	निम्नवर्गीय लिपिक – स्वीकृत	निम्नवर्गीय लिपिक – कार्यरत	निम्नवर्गीय लिपिक – आवश्यकता	डाटा इंट्री ऑपरेटर – कार्यरत	डाटा इंट्री ऑपरेटर – आवश्यकता	परिचारी – कार्यरत	परिचारी – आवश्यकता	संविदा अमीन – कार्यरत	संविदा अमीन – आवश्यकता	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कोड का आवंटन	अन्यान्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	बंदोबस्त कार्यालय भवन नहीं है।	नये फर्नीचर, स्टेशनरी तथा कार्यालय से संबंधित सामग्री की आवश्यकता है।	1	1	0	1	4	0	2	12	0	3	0	1	0	2	0	यथा आवश्यक	आवंटित नहीं है।	बन्दोबस्त कार्यालय (भवन) की स्थापना आवश्यकता की आवश्यकता है।
2	समस्तीपुर	बंदोबस्त कार्यालय भवन नहीं है।	नये फर्नीचर, स्टेशनरी तथा कार्यालय से संबंधित सामग्री की आवश्यकता है।	1	1	0	1	3	0	2	9	0	3	0	1	0	2	0	यथा आवश्यक	आवंटित नहीं है।	बन्दोबस्त कार्यालय (भवन) की स्थापना आवश्यकता की आवश्यकता है।
3	मधुबनी	बंदोबस्त कार्यालय भवन नहीं है।	नये फर्नीचर, स्टेशनरी तथा कार्यालय से संबंधित सामग्री की आवश्यकता है।	1	1	0	1	3	0	2	9	0	3	0	1	0	2	0	यथा आवश्यक	आवंटित नहीं है।	बन्दोबस्त कार्यालय (भवन) की स्थापना आवश्यकता की आवश्यकता है।
4	वैशाली (हाजीपुर)	स्वतंत्र बन्दोबस्त कार्यालय भवन की आवश्यकता है। वर्त्तमान में जिला राजस्व शाखा में कार्यरत है।	नये फर्नीचर, स्टेशनरी तथा कार्यालय से संबंधित सामग्री की आवश्यकता है।	1	3	1	0	2	0	2	7	0	3	0	1	0	2	0	यथा आवश्यक	आवंटित नहीं है।	स्वतंत्र बन्दोबस्त कार्यालय के स्थापना की आवश्यकता है।
5	सिवान	स्वतंत्र बन्दोबस्त कार्यालय भवन की आवश्यकता है। वर्त्तमान में अंचल अभिलेखागार भवन में कार्यरत है।	कुछ नये फर्नीचर की आवश्यकता है। पुराने फर्नीचर की मरम्मति आवश्यक है।	1	1	0	1	3	1	1	8	0	3	0	1	0	2	0	यथा आवश्यक	आवंटित है।	स्वतंत्र बन्दोबस्त कार्यालय के स्थापना की आवश्यकता है।
6	सारण (छपरा)	दो मंजिला सरकारी भवन में बन्दोबस्त कार्यालय संचालित है। मरम्मति की आवश्यकता है।	कुछ नये फर्नीचर की आवश्यकता है। पुराने फर्नीचर की मरम्मति आवश्यक है।	1	1	1	0	3	0	2	9	0	2	1	0	1	1	0	यथा आवश्यक	आवंटित है।	स्वतंत्र बन्दोबस्त कार्यालय कार्यरत है।
7	गोपालगंज	पूर्व प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय, थावे में बन्दोबस्त कार्यालय संचालित होगा। वर्त्तमान में जिला राजस्व शाखा में संचालित है।	नये फर्नीचर की आवश्यकता है। पुराने फर्नीचर के मरम्मति की आवश्यकता है।	1	1	1	0	2	0	2	6	0	3	0	1	0	2	0	यथा आवश्यक	आवंटित नहीं है।	निदेशालय से पत्र वित्त विभाग लिखा गया है।
8	मुजफ्फरपुर	दो कमरे के सरकारी भवन में बन्दोबस्त कार्यालय कार्यरत है। मरम्मति की आवश्यकता है।	कुछ नये फर्नीचर की आवश्यकता है। पुराने फर्नीचर की मरम्मति आवश्यक है।	1	1	0	1	2	1	1	7	1	2	1	0	0	2	0	यथा आवश्यक	आवंटित है।	स्वतंत्र बन्दोबस्त कार्यालय कार्यरत।
9	दरभंगा	दरभंगा राज्य के भवन में कार्यरत है। मरम्मति की आवश्यकता है।	कुछ नये फर्नीचर की आवश्यकता है। पुराने फर्नीचर की मरम्मति आवश्यक है।	1	1	2	0	2	2	0	7	2	0	0	0	3	0	0	यथा आवश्यक	आवंटित है।	स्वतंत्र बन्दोबस्त कार्यालय कार्यरत है।

29-12-21

पंकज कुमार कुमार,
स0ब0प0,
भू0अभि0परि0 निदेशालय, बिहार, पटना

103

102

<u>बिहार राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त शेष बचे 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण का कार्य प्रारंभ किये जाने से संबंधित</u>

<u>अद्यतन प्रतिवेदन संख्या–02</u> <u>दिनांक–28.12.2021</u>

क्र0 सं0	जिला का नाम	राजस्व संबंधित ऑकड़ा: अंचल की सं0	राजस्व संबंधित ऑकड़ा: राजस्व ग्राम की सं0	मानचित्र की स्थिति – उपलब्ध: मानचित्र की सं0	मानचित्र की स्थिति – उपलब्ध: शीट की सं0	मानचित्र की स्थिति – अनुपलब्ध: मानचित्र की स0	मानचित्र की स्थिति – अनुपलब्ध: शीट की सं0	खतियान के उपलब्धता की स्थिति (ग्रामवार): उपलब्ध खतियान की सं0	खतियान के उपलब्धता की स्थिति (ग्रामवार): अनुपलब्ध खतियान की सं0	हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का नाम	एजेंसी द्वारा उपलब्ध मानचित्र – उपलब्ध ग्रामवार: मानचित्र की सं0	एजेंसी द्वारा उपलब्ध मानचित्र – उपलब्ध ग्रामवार: शीट की सं0	एजेंसी द्वारा उपलब्ध मानचित्र – अनुपलब्ध ग्रामवार: मानचित्र की सं0	एजेंसी द्वारा उपलब्ध मानचित्र – अनुपलब्ध ग्रामवार: शीट की स0	मासिक प्रतिवेदन	सरकारी भूमि/सरकारी विभागों की भूमि का विवरण प्राप्त करने से संबंधित कार्रवाई	आवंटन की स्थिति: प्राप्त	आवंटन की स्थिति: व्यय	आवंटन की स्थिति: शेष	आवंटन की स्थिति: आवश्यकता	अन्यान्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	27	1346	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	64	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	IIC Technology, Hyderabad	0	0	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	प्राप्त						कार्यालय की स्थापना. आवश्यक है।
2	समस्तीपुर	20	1270	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	IL&FS Agency, Gurgaon	0	0	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	प्राप्त						कार्यालय की स्थापना आवश्यक है।
3	मधुबनी	21	1115	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	IL&FS Agency, Gurgaon	0	0	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	प्राप्त						कार्यालय की स्थापना आवश्यक है।
4	वैशाली (हाजीपुर)	16	1587	1523	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	1367	जानकारी नहीं	IIC Technology, Hyderabad	228	168	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	प्राप्त	सभी अंचल अधिकारी को स0ब0प0 (मु0) स्तर से सरकारी जमीन का ब्यौरा उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। निदेशालय स्तर से इस आशय का पत्र सभी जिलाधिकारी को लिखने की आवश्यकता है। निदेशालय स्तर से सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को भी इस आशय का पत्र लिखने की आवश्यकता है।	सभी 09 जिलों को 04 लाख रूपया आवंटित किया गया है। 01 लाख रूपये सर्वे के प्रचार–प्रसार तथा 03 लाख रूपया कार्यालय की स्थापना, मरम्मति, फर्नीचर, स्टेशनरी एवं कार्यालय व्यय हेतु दिया गया है।				निदेशालय स्तर से सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी तथा स0ब0प0 को अंचलों में उपलबध खतियान एवं मानचित्र के संबंध में ब्यौरा देने हेतु लिखा जाना आवश्यक है। साथ ही निदेशालय स्तर से संबंधित जिलों के हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को जिलों में ग्रामवार मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु लिखना आवश्यक है।
5	सिवान	19	1527	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	IL&FS Agency, Gurgaon	0	0	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	प्राप्त						
6	सारण (छपरा)	20	1804	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	96	IL&FS Agency, Gurgaon	1727	जानकारी नहीं	77	जानकारी नहीं	प्राप्त						
7	गोपालगंज	14	1539	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	IL&FS Agency, Gurgaon	0	0	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	प्राप्त						
8	मुजफ्फरपुर	16	1827	1430	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	SC-1750 RS-1790	जानकारी नहीं	IIC Technology, Hyderabad	256	56	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	प्राप्त						
9	दरभंगा	18	1327	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	IL&FS Agency, Gurgaon	0	0	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	प्राप्त						

ह0/- 29-12-21

पंकज कुमार,

स0ब0प0, भ0अ0परि0 निदेशालय, बिहार, पटना

101

बिहार राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त शेष बचे 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण का कार्य प्रारंभ किये जाने से संबंधित

अद्यतन प्रतिवेदन संख्या–01 दिनांक–27.12.2021

क्र0 सं0	जिला का नाम	सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना: भवन	फर्नीचर	कम्प्यूटर सेट + प्रिंटर+ स्कैनर+ यू0पी0 एस0	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी			उच्चवर्गीय लिपिक			निम्नवर्गीय लिपिक			डाटा इंट्री ऑपरेटर		परिचारी		संविदा अमीन		निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कोड का आवंटन	अन्यान्य
					स्वीकृत	कार्यरत	आवश्यकता	स्वीकृत	कार्यरत	आवश्यकता	स्वीकृत	कार्यरत	आवश्यकता	कार्यरत	आवश्यकता	कार्यरत	आवश्यकता	कार्यरत	आवश्यकता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	बक्सर	कार्यालय भवन नहीं है। बैठने की जगह नहीं।	फर्नीचर नहीं है।	नहीं	1	1		2	1	1	5	0	5	0	1	0	1	0	यथा आवश्यक	कोड आवंटित नहीं है।	डाटा इंट्री ऑपरेटर, परिचारी एवं संविदा अमीन नहीं है।
2	कैमूर (भभूआ)	कार्यालय भवन नहीं है। कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं।	फर्नीचर नहीं है।	नहीं	1	1		2	0	2	5	0	5	0	1	0	1	0	तथैव	कोड आवंटित नहीं है।	डाटा इंट्री ऑपरेटर, परिचारी एवं संविदा अमीन नहीं है।
3	औरंगाबाद	कार्यालय भवन नहीं है। कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं।	फर्नीचर नहीं है।	नहीं	1	0	1	1	0	1	5	0	5	0	1	0	1	0	तथैव	कोड आवंटित नहीं है।	डाटा इंट्री ऑपरेटर, परिचारी एवं संविदा अमीन नहीं है।
4	रोहतास (सासाराम)	कार्यालय भवन नहीं है। कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं।	फर्नीचर नहीं है।	नहीं	1	0	1	3	0	3	9	0	9	0	1	0	1	0	तथैव	कोड आवंटित नहीं है।	डाटा इंट्री ऑपरेटर, परिचारी एवं संविदा अमीन नहीं है।
5	नवादा	कार्यालय भवन नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं।	फर्नीचर नहीं है।	नहीं	1	2	0	2	0	2	6	0	6	0	1	0	1	0	तथैव	कोड आवंटित नहीं है।	तथैव 01 स0ब0प0 अतिरिक्त पदस्थापित
6	भोजपुर	कार्यालय उपलब्ध है। पाँच कमरे हैं। परंतु मरम्मति योग्य।	फर्नीचर है। परंतु काफी पुराने है। नया क्रय की आवश्यकता है।	नहीं	2	2		2	2	0	6	0	6	0	1	0	1	0	तथैव	कोड आवंटित है।	डाटा इंट्री ऑपरेटर, परिचारी एवं संविदा अमीन नहीं है।
7	गया	स्वतंत्र कार्यालय है। कुल 07 कमरे हैं। जिनमें 02 कार्य योग्य एवं 05 मरम्मति योग्य।	फर्नीचर काफी पुराना है।	नहीं	1	2	0	4	1	3	11	1	10	0	1	01 पदस्थापित	0	0	तथैव	कोड आवंटित है।	मात्र कार्यालय परिचारी नही है। 01 स0ब0प0 अतिरिक्त पदस्थापित
8	भागलपुर	भवन उपलब्ध। 06 कमरे है। मरम्मति की आवश्यकता है।	फर्नीचर काफी पुराना है।	नहीं	1	1		2	2	0	7	1	6	0	1	0	0	0	तथैव	कोड आवंटित है।	डाटा इंट्री ऑपरेटर, परिचारी एवं संविदा अमीन नहीं है।
9	पटना	कार्यालय, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना में कार्यरत। एक हॉल, दो केबिन। जगह काफी कम है।	फर्नीचर पुराने उपलब्ध।	एक सेट उपलब्ध	3	3		11	4	7	4	1	3	01 पदस्थापित	0	04 पदस्थापित	0	0	तथैव	कोड आवंटित है।	संविदा अमीन नहीं है।

29/12/2021

सुनील कुमार,
स0ब0प0,
भू0अभि0परि0 निदेशालय, बिहार, पटना

0

(169)

<u>बिहार राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त शेष बचे 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण का कार्य प्रारंभ किये जाने से संबंधित</u>
<u>अद्यतन प्रतिवेदन संख्या–02</u>

दिनांक–27.12.2021

क्र0 सं0	जिला का नाम	राजस्व संबंधित ऑकड़ा		मानचित्र की स्थिति				खतियान के उपलब्धता की स्थिति (ग्रामवार)		हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का नाम	एजेंसी द्वारा उपलब्ध मानचित्र				मासिक प्रतिवेदन	सरकारी भूमि/सरकारी विभागों की भूमि का विवरण प्राप्त करने से संबंधित कार्रवाई	आवंटन की स्थिति				अन्यान्य
		अंचल की सं0	राजस्व ग्राम की सं0	उपलब्ध		अनुपलब्ध		उपलब्ध खतियान की सं0	अनुपलब्ध खतियान की सं0		उपलब्ध ग्रामवार		अनुपलब्ध ग्रामवार				प्राप्त	व्यय	शेष	आवश्यकता	
				मानचित्र की सं0	शीट की सं0	मानचित्र की स0	शीट की सं0				मानचित्र की सं0	शीट की सं0	मानचित्र की सं0	शीट की स0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	बक्सर	11	1031							IL&FS											
2	कैमूर (भभूआ)	11	1700					1700		IL&FS						02 (दो) कार्यालयों से प्राप्त।					
3	औरंगाबाद	11	1341							IIC											
4	रोहतास (सासाराम)	19	2125		6720			1164	452	IL&FS											
5	नवादा	14	1099							GISC		1072									हवाई एजेंसी द्वारा 765 ग्राम का नक्शा आपूरित। 09 अंचल का।
6	भोजपुर	14	1218	105		1113		1308	48	IL&FS						12–13 विभागों/कार्यालयों से प्राप्त।					
7	गया	24	2921	154						IIC		154									हवाई एजेंसी द्वारा 10 अंचल का नक्शा आपूरित।
8	भागलपुर	16	1575	846				1575 1521 (ग्रामीण) 54 (शहरी)		IL&FS		3644									हवाई एजेंसी द्वारा 1159 ग्रामों (वार्ड सहित) का S.S मानचित्र आपूरित।
9	पटना	23	1419					1477		IL&FS						दो अंचलों से प्राप्त					

27/12/2021

सुनील कुमार,
स0ब0प0,
भू0अभि0परि0 निदेशालय, बिहार, पटना